कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

जलेबी चौंक, बड़ी चौपड, जयपुर

क्रमांक	अधि0 अभि0 (मु0) हैरिटेज/2025/622	दिनांकः	24/1/25

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) संख्या 01

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अन्तर्गत पांच शौचालयों के संचालन एवं रख रखाव कार्य हेतु DAY-NULM के तहत बने महिला स्वंय सहायता समूहो से निर्धारित प्रारूप में अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आंमत्रित की जाती है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की विस्तृत जानकारी jaipurmcheritage.org पर उपलब्ध है।
एवं (EOI) का प्रारूप http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं Download किये जा सकते है।
उक्त EOI की विस्तृत जानकारी jaipurmcheritage.org पर उपलब्ध है।

S. N.	Particular	Detail
1	EOI PUBLICATION ON OFFICAL WEB SITE http://sppp.rajsthan.gov.in	25-01-2025
2	EOI DOWNLOAD START DATE	25-01-2025
3	EOI SUBMISSION START DATE	28-01-2025
4	EOI SUBMISSION END DATE	10-02-2025 04.00 PM
5	TECHNICL DOCUMENT OPENING DATE	11-02-2025

अधिषाशी अभियन्ता (मु)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

अधि0 अभि0 (मु0) हैरिटेज/2025/624-626 दिनांकः 24/1/25

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. निजी सहायक, आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।उपायुक्त उद्यान, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का प्रकाशन दो प्रचलित समाचार पत्रों में करना सुनिश्चित करावें।
3. ACP (IT) को भेजकर लेख है अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) को http://sppp.rajasthan.gov.in एवं निगम की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

अधिषाशी अभियन्ता (मु)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

O/C

जयपुर हैरिटेज	**कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज** जलेबी चौंक, बड़ी चौपड, जयपुर	जयपुर हैरिटेज
क्रमांक	अधि० अभि० (मु०) हैरिटेज / 2025 / दिनांकः	

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अन्तर्गत पांच शौचालयों के संचालन एवं रख रखाव कार्य हेतु DAY-NULM के तहत बने महिला स्वंय सहायता समूहो से दिनांक 28.01.2025 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 10.02.2025 को सायः 4:00 बजे तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रित की जाती है।

क्रमांक	शौचालय का विवरण	अनुमानित राशि	कार्यावधि
1	मामा की होटल, खण्डेलवाल स्टोर के पास वार्ड न 93	4,20,000/—	1 वर्ष
2	पिंक स्क्वायर के सामने वार्ड नं 93	4,20,000/—	1 वर्ष
3	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 25 राजामल का तालाब जयपुर	4,20,000/—	1 वर्ष
4	गेटोरी की छतरी वार्ड 08	4,20,000/—	1 वर्ष
5	मोहन नगर, पुरानी बस्ती वार्ड 08	4,20,000/—	1 वर्ष

1. अभिरूचि की निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम व शर्तें /पात्रता सम्बंधित दस्तावेज कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय से दिनांक 28.01.2025 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 10.02.2025 को सायः 04:00 बजे तक कार्यालय समय में नगर निगम जयपुर हैरिटेज मुख्यालय के DAY-NULM शाखा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा की विस्तृत जानकारी jaipurmcheritage.org एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I&II) में स्वीकार की जायेगी।
2. महिला स्वंय सहायता समूह को अपनी पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज अलग सील बंद लिफाफे में जिनके ऊपर 'आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज व कार्य व आवेदित शौचालयों का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु अंकित हो तथा वित्तीय बिड अलग से सील बन्द लिफाफे मे, जिसके ऊपर "वित्तीय बिड" लिखा हो कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज में दिनांक 28.01.2025 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 10.02.2025 को सायः 4:00 बजे तक स्वंय द्वारा जमा करायी जानी चाहिये। प्राप्त अभिरूची की अभिव्यक्ति दिनांक 11.02.2025 को प्रातः 11:00

बजे उपस्थित निविदादाताओं (स्वंय सहायता समूहों) या उनके प्रतिनिधियो के समक्ष समिति द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज की DAY-NULM शाखा के कार्यालय में खोली जाएगी।

3. EOI हेतु 2 प्रतिशत अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए **"आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज**" के नाम से जमा करानी होगी, जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
4. केवल DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वंय सहायता समूहों से ही EOI स्वीकार की जायगी तथा निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायगी।
5. DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वंय सहायता समूह यदि वह नियम व शर्तों (संलग्न) के अनुसार पात्र है तो ही उसकी वित्तीय बिड को खोला जायेगा। यदि स्वंय सहायता समूह पात्रता की शर्तो को पूरा नही कर रहा हैं तो उसे बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदा L1 महिला स्वंय सहायता समूह को नियम व शर्तो से सम्बन्धित प्रमाणपत्र निविदा खोले जाने की तिथि के 3 दिनों के अन्दर उपायुक्त DAY-NULM को जमा करवाने होगे यदि किसी कारणवश L1 स्वंय सहायता समूह रिजेक्ट हो जाता हैं या पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो L2 को नियमानुसार कार्य का आवंटन किया जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार की दलील स्वीकार नही कि जाएगी।

अधिशाषी अभियन्ता (मु.)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

नियम व शर्ते

1. महिला स्वयं सहायता समूह DAY-NULM योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। (EOI के प्रपत्र के साथ DAY-NULM योजना के नोडल अधिकारी से सत्यापित प्रमाण संलग्न करे)
2. आवेदकर्ता महिला स्वंय सहायता समूह मिशन गाईड–लाईन के अनुसार सभी पंच सूत्र का 100 प्रतिशत पालन कर रहे हो जैसेः
   - स्वंय सहायता समूह के गठन के बाद नियमित रूप से (प्रत्येक महीने) सभी सदस्यो के साथ मासिक बैठक कर रहे हो।
   - स्वंय सहायता समूह द्वारा नियमित बैठक को दौरान नियमित बचत करना तथा बचत को 3 कार्य दिवस के अन्दर स्वंय सहायता समूह के बैंक खाते में जमा करना।
   - स्वंय सहायता समूह के सदस्यों की मांग पर स्वंय सहायता समूह की और से उचित व्याज दर पर ऋण मुहैया कराया गया हो।
   - स्वंय सहायता समूह के सदस्यो द्वारा की गई लेन देन/ऋण की 100 प्रतिशत वापसी नियत तिथी पर की गई हो।
   - स्वंय सहायता समूह के द्वारा रिकॉर्ड का लेखा जोखा व रख रखाव सही से किया गया हो जैसे बैठक की तिथी और बैठक में शामिल सदस्यो का विवरण बैठक के मिनिट्स/कार्यवाही, लेन देन बही और ऋण बहियो का नियमित रूप से लेखा जोखा नियमित रूप से हिसाब किताब कर लेखा बहीयो को सुरक्षित रूप से संयोजित किया गया हो।
   - स्वंय सहायता समूह का कोई एक सक्रिय सदस्य कम से कम आठवी पास हो तथा मोबाईल एप्प व अन्य कम्प्युटर एप्लीकेशन के बारे में प्रशिक्षित हों।
   - स्वंय सहायता समूह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वंय सहायता समूह के नाम से नियमित बचत खाता संचाालित हो और वह स्वंय सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रतिबन्धित/डिफॉल्टर न हो।
3. स्वंय सहायता समूह किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहियें।
4. यदि स्वयं सहायता समूह पहले से नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में किसी भी प्रोजेक्ट मे काम कर रहा है तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।
5. स्वय सहायता समूह द्वारा शौचलय संचालन हेतु यदि श्रमिकों की मदद से किया जाता है तो श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी, श्रमिको सुरक्षा (दुर्घटना होने की स्थिति) सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वय सहायता समूह की होगी।

6. स्वयं सहायता समूह की परफोरमेन्स व कार्य–व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जॉच में स्वंय सहायता समूह दोषी पाये जाने पर स्वयं सहायता समूह का चयन नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
7. नगर निगम जयपुर हैरिटेज अपने विवेकाधिकार अथवा किसी भी और कारण से इस अनुबंध को कभी भी समाप्त कर सकता है।
8. संचालन किये जा रहे शौचालय के संबंध मे प्राप्त शिकायत के संबंध में शिकायत का निस्तारण 24 घण्टे में किया जाना अनिवार्य होगा। संचालन माप़दण्ड के अनुसार नही होने पर प्रतिदिन 500रू की कटौती की जायेगी।
9. इच्छुक स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय के **NULM** शाखा कमरा नं 141 में जमा करा सकते है।
10. स्वंय सहायता समूह को कार्य के प्रति भुगतान अनुबंध अवधि में समय के अनुपातिक रूप से किया जाएगा।
11. स्वंय सहायता समूहो को सार्वजनिक शौचालय आवंटित होने पर सम्पूर्ण साफ सफाई रखनी होगी व उचित संचालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही व कार्य संतोषजनक नही होने की स्थिति में एक माह का नोटिस देकर आवंटन समाप्त किया जा सकता है।
12. शौचालयों का स्वामित्व निगम का रहेगा स्वंय सहायता समूहों को केवल संचालन व साफ सफाई हेतु सुपुर्द्ध किया जायेगा ।
13. पानी व बिजली के बिलो का भुगतान स्वंय सहायता समूह द्वारा किया जायेगा। साथ ही बिजली, पानी, सेनेटरी टूट–फूट मरम्मत संस्था द्वारा ही वहन की जायेगी।
14. सेपटिक टेंक की साफ सफाई का कार्य स्वंय के स्तर पर किया जायेगा।
15. शौचालयों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सप्ताह के प्रत्येक दिन, सार्वजनिक अवकाश को भी शामिल करते हुए , करना होगा।
16. शौचालयो को एक वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव हेतु दिया जायेगा जिसे संतोषजनक पाये जाने पर तथा आपसी सहमति से अगले 2 वर्ष हेतु बढाया जा सकता है।
17. शौचालयो की साफ सफाई से संबंधित साम्रगी (वाईपर, पौछा, झाडु, फिनाईल, डैटॉल, नेपथेलिन बॉल्स, हेन्ड वॉश, टिशु पेपर, स्लिपर) की व्यवस्था स्वंय सहायता समूह द्वारा की जायेगी।
18. उक्त शौचालयों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां संचालन में शिकायत प्राप्त होने पर बगैर नोटिस एक तरफा कारवाई उपायुक्त (DAY-NULM) द्वारा की जावेगी।
19. उक्त शौचालयों का समय समय पर निगम अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत संबंधित शौचालयों पर साफ सफाई से संबंधित साम्रगी व चैक रजिस्टर मौजूद होना चाहिए।

अधिषाशी अभियन्ता (मु)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(Annexure-I)

सेवामें,

श्रीमान आयुक्त महोदय
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

विषय : सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं रखरखाव कार्य हेतु आवेदन पत्र।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ....स्वयं सहायता समूह ....
..योजना के तहत पंजीकृत है तथा स्वयं सहायता समूह...EOI के तहत कार्य करने हेतु इच्छुक है तथा स्वयं सहायता समूह निविदा की पात्रता को पूरा करता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

1. स्वंय सहायता समूह वर्ष.................................से DAY-NULM में योजना पंजीकृत है।(EOI प्रपत्र के साथ से सत्यापित प्रमाण संलग्न है)।
2. स्वंय सहायता समूह DAY-NULM योजना में निर्धारित पांच सूत्रों का पालन करता है। (से सत्यापित प्रमाण संलग्न है)।
3. स्वंय सहायता समूह के.. सदस्य 8 वीं या अधिक कक्षा में तथा कंम्प्यूटर एप्लीकेशन में शिक्षित है।(सदस्यों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न है)।
4. स्वंय सहायता समूह का राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक .... में नियमित बचत खाता संचालित है। (बैंक की पास बुक की कॉपी संलग्न है)।
5. स्वंय सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रतिबन्धित/डिफाल्टर नहीं है। (स्वंय सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर सत्यापन संलग्न करें)
6. स्वंय सहायता समूह किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल है (स्वंय सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर सत्यापन संलग्न करें)

घोषणाः

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा सही दी गई है यदि भविष्य में यह जानकारी गलत पायी जाती है तों योजना के तहत कार्य नगर निगम बिना नॉटिस दिये कभी भी निरस्त कर सकता है जिसके लिये हमारे द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि हमारे स्वंय सहायता समूह को योजना के तहत कार्य आवंटित किया जाता है तो स्वंय सहायता समूह कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करेगा। यदि हमारे द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा जाता है तो नगर निगम जयपुर हैरिटेज कानूनी कार्यवाही तथा जुर्माना करने का भी अधिकारी है।

हस्ताक्षर

दिनांक

प्रधान/सचिव

............स्वंय सहायता समूह

(Annexure-II)

वित्तीय बिड (अलग से बंद लिफाफे में जमा करें)

सेवा में,

....

....

विषय : स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अन्तर्गत शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय दर हेतु

श्रीमान

उपरोक्त विषय के सबंध में स्वंय सहायता समूह के कार्य रेट निम्नलिखित प्रकार से है:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	स्वंय सहायता समूह का अंतिम रेट	कार्यअवधि
1				

महोदय जी उपरोक्त स्वंय सहायता समूह के सभी सदस्यों से सलाह मशवरे के बाद तय किये गये है अतः.. स्वंय सहायता समूह, के सभी सदस्य उपरोक्त कार्यो को हमारे द्वारा तय की गई राशि में एक साल करने के लिए अपनी निविदा करते है। यदि कोई और स्वंय सहायता समूह इस से कम राशि में यह कार्य करने के लिये तैयार है तो हमारी निविदा को निरस्त समझा जाये।

हस्ताक्षर

दिनांक

प्रधान / सचिव

............स्वंय सहायता समूह